



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

नवीय एवं घनुर्य तल, चन्द्रलोक वललुडुग, 36, जनपध,
नई दललुी-110001, फ़ोन: 23353503, फ़ैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in



सुरागरेव जघते

याचलका सं.323/टीएल/2022

दलनांक: 10.01.2023

वलद्युत अधलनलडड, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटलस

खंडूखाल रामपुरा ट्रांसमलशन ललडलटेड, दुवलतल तल, नलर्यात डवन, राव तुलाराम
डार्ग, वसंत वलहार, आरुी हॉस्पलटल एवं रेफरल के वलपरीत, नई दललुी -
110057 धारा नलडुनलखलत घटकू को शलडलल करतल हुए नलरुण, सुवलडलतु, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार पर "डूरुी और उत्तर डूरुी डुरदेशू के ललए प्रणाली सुदुडीकरण डुोजना हेतु अंतर-राज्यलक डुरारेषण प्रणाली" (इसके डुाद "डुरलडुोजना" के रूप डें संदरुडलत) सुथलडलत करने के ललए वलद्युत अधलनलडड, 2003 (अधलनलडड) की धारा 14, 15 और 79(1)(ड) के अधीन आवेदन कलया डुया है:

400 केवी खंडूखाल (शुरीनगर) - रामपुरा (काशीपुर) डी/सी लाइन के ललए डुरारेषण प्रणाली

क्रुड सं.	डुरारेषण घटक का नलड	प्रडलवी तारीख से डुास डें अनुसूचलत सीओडी
1.	400 केवी डी/सी खंडूखाल (शुरीनगर) - रामपुरा (काशीपुर) लाइन (दुवलन एचटीएलएस*)	
2.	खंडूखाल (शुरीनगर) - रामपुरा (काशीपुर) लाइन के प्रत्येक सर्कुलट पर रामपुरा (काशीपुर) सररे पर 1x80 एडवीएआर सुवलचेडल लाइन रलएक्टर • 420 केवी 80 एडवीएआर सुवलचेडल लाइन रलएक्टर के ललए सुवललुंग उपकरण - 2 नंबर • 420 केवी, 80 एडवीएआर सुवलचेडल लाइन रलएक्टर - 2 नंबर	टीएचडीसी के वलधुगद डुीडलकोटी एचईडी (29.10.2024) या एनटीडीसी के तडुवन वलधुगद एचईडी (30.09.2024), जो डुी डुहले हो अरुथलत 30.09.2024, के आरुड की सडड-सीडल का डललान
3.	रामपुरा (काशीपुर) सब-स्टेशन पर 400 केवी लाइन डे का 1 नंबर • 400 केवी लाइन डे - 1 नंबर	
4.	खंडूखाल (शुरीनगर) पर डुीडूदा 400 केवी डे का उन्नडन • 400 केवी लाइन डे के ललए उन्नडन करुड-2 नंबर	
5.	रामपुरा (काशीपुर) पर संबदु टाई डे के साथ लाइन डे और आईसीटी डे वलले 400 केवी डुडडडीटर के डुीडूदा 1 नंबर का उन्नडन • 400 केवी लाइन डे के ललए उन्नडन करुड - 1 नंबर • 400 केवी आईसीटी डे के ललए उन्नडन करुड-1 नंबर • टाई डे का उन्नडन - 1 नंबर	
2.	आवेदक का चडन, अधलनलडड की धारा 63 के अधीन केनुड सरकार धुारा जलरी कलए डुए डार्गनलदुदेशू के अनुसलर डुीएफसी कंसलटलंग ललडलटेड (डीएफसीसीएल) धुारा की डुई डुरतलसुडुधलतुडक डुुली के आधार पर रु. 587.20 डलललडन के नलडुनतड सुतरीकृत डुरारेषण डुरडलरू सलहत सेवल डुरदलडक के रूप डें कलया डुया है।	
3.	सेनुडल ट्रांसडलशन डुूटललटी ऑफ इंडुडल ललडलटेड ने दलनांक 30.11.2022 के अडने डुतुर धुारा डुरसुतलवलत डुरारेषण प्रणाली की सुथलडन हेतु आवेदक को डुरारेषण अनुडुडलतल डुरदलन कलए जाने के ललए संसुतुत कलया है।	
4.	रलकूर्ड डें उपलडुड सलडुुी के आधार पर, आडुग ने याचलका सं. 323/टीएल/2022 डें दलनांक 9.1.2023 के आदेश धुारा उपरुडुत डुरैरल 1 डें डुथुुललखलत डुरारेषण प्रणाली की सुथलडन हेतु आवेदक को डुरारेषण अनुडुडलतल जलरी कलए जाने को डुरसुतलवलत कलया है।	
5.	खंडूखाल रामपुरा ट्रांसडलशन ललडलटेड को अंतरराज्यलक डुरारेषण अनुडुडलतल डुरदलन कलए जाने हेतु आवेदक धुारा आडुग के सडुड कलए डुए अनुडुध एवं अनुलडुनकू सलहत आवेदन की डुरतल को वेडसाइट http://krtl.in.net/ पर देखा जा सकतल है या नलरुधलरलत कुरलडलवलधल का अनुडललन करतल हुए आडुग के करुडललय डें कलसी वुडुतल धुारा नलरुीकुषलत कलया जा सकतल है।	
6.	नोटलस, अधलनलडड की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण डें दलया डुया है कल उक्त के अनुसलर, आवेदक को डुरारेषण अनुडुडलतल डुरदलन कलए जाने हेतु आडुग के डुरसुतलव डें सुडुडलवू या आडुतलडुी, डुदल कूई हो, को उक्त डुते पर दलनांक 23.1.2023 तक अधुुहसुतलडुरी को डुेज दलया जाए। वलनलरुदुधुत तलरलख के डुाद डुरलडुत हुए सुडुडलवू या आडुतलडुी पर वलचलर नही कलया जाएडुल।	
7.	आडुग धुारा दलनांक 24.1.2023 को आवेदन पर आगे की सुनवलई की जाएडुी। कूई वुडुतल जो सुडुडलवू या आडुतलडुी को दर्ज करतल है, वड इस सुनवलई डें अडने सुवलवेक से उपसुथलत रह सकतल है जलसके ललए आडुग धुारा कूई टीए/डीए नही दलया जाएडुल।	

(हरडुरीत सुलड डुुथी)
सचलव